बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 5 सत्र- 187वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 1.12.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तक

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री सुबोध कुमार ने अपने-अपने कार्यस्थगन प्रस्तावों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से कहा गया कि शून्यकाल के बाद इसपर नियमन देंगे, परंतु डा. दिलीप कुमार चौधरी ने ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. को नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद् में मिट्टी तेल नहीं मिलने की समस्या की ओर दिलाया।

माननीय सदस्य श्री संजय प्रसाद ने बालू की आपूर्ति व्यवस्था के कारण हो रही परेशानी की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

(कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए राजद के सभी माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आये जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं।)

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन का नियमन

1. आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं अन्य दो माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की

सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 5, 16, 22 एवं 35 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव की अस्वीकृति के आधार संख्या 4, 5, 9, 16 एवं 17 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से बारंबार अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया, परंतु राजद के माननीय सदस्यगण यथावत् सदन वेश्म से नारेबाजी करते रहे और पोस्टर दिखाते रहे। जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं तथा सरकार से जवाब की मांग करती रहीं, जबकि सत्तापाश से माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने इसका विरोध किया। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से कहा कि प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, कृपया बैठ जाइये, बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, हो गया, बैठ जाइये, बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न हैं, इनको उत्तरित होने दीजिए।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 25, 26 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 31, 32 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 27, 28, 29, 30 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 63, 67, 78, 80 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 25 पर उत्तर के दौरान राजद के माननीय सदस्यगण पुनः कार्यस्थगन के समर्थन में बोलने लगे, जबकि माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार बार-बार अपने प्रश्न के बारे में बोलते रहे। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से खड़े होकर माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही चलने दीजिए आज अंतिम दिन है, आपका कार्यस्थगन नियम के आलोक में अस्वीकृत हो चुका है। इतने दिनों से सदन चलाने में सहयोग किया, अब बैठिये। आपलोग का सहयोग मुझे मिला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्होंने राजद की नेता, माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी से अनुरोध किया कि अपने दल के सभी सदस्यों को अपने स्थानों पर जाने के लिए कहें। परंतु माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार का जवाब हमको दिलवा दीजिए, आजतक एक भी जवाब नहीं मिला है। इसपर संसदीय कार्यमंत्री, श्री श्रवण कुमार ने कहा कि अभी

प्रश्न काल है, अल्पसूचित प्रश्न लिये जा रहे हैं और तारांकित प्रश्न लिये जाएंगे। जब शून्यकाल का समय आएगा तब कोई बात माननीय सदस्य को उठानी चाहिए। आपलोगों के सवाल पर माननीय मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग का विधान सभा में जवाब हुआ है और विस्तार से जवाब हुआ है तो मैं सदन से दरख्वास्त करना चाहता हूं, माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही चलने दें। जब समय आएगा तो उन सवालों को उठाइएगा तो सरकार उसका जवाब देगी। हर प्रश्न का सरकार जवाब देगी। सरकार इसी कार्य के लिए बैठी है। माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी यथावत् बोलती रहीं माननीय उप सभापति महोदय ने इसपर नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग से इसपर बात करेंगे। परंतु, राजद के माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं महोदय, जवाब चाहिए।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आपलागों के द्वारा उठाये गये सभी प्रश्न जनता के ही हैं और जनहित के ये महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में आ गए। वास्तव में संसदीय कार्यमंत्री और संजय जी ने जो बाते कहीं हैं, उनसे भी मैं बात कर लूंगा। आज ही उत्तर होगा। ध्यानाकर्षण में परिवर्तित करने के लिए आपलोग लिखकर दीजिए, तो सरकार उत्तर देगी और माननीय मंत्री के जवाब के बारे में जो उचित होगा, मैं निर्णय करूंगा, परंतु राजद क माननीय सदस्यगण यथावत् नारेबाजी करते रहे। कुछ समय बाद आसन के अनुरोध पर सदन वेश्म से माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर चले गये।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 26 पर हुए उत्तर के पूरक के क्रम में माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव एवं माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के बीच आरोप-प्रत्यारोप होने लगा। माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने आसन से अनुरोध किया कि सदन को नियमावली के अनुसार चलने में सबको सहयोग करना चाहिए। सदन और आसन की मर्यादा के जो प्रतिकूल हो, माननीय सदस्यों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। एक असंसदीय शब्द को माननीय उप सभापति महोदय ने विलोपित करने का आदेश दिया, जिसपर माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने आसन से अनुरोध किया कि उसे रहने दिया जाय । आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने इस मामले पर नियमन दिया कि जब हमने अपना नियमन दिया, तब आपको उस नियमन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बिहार विधान परिषद् उच्च सदन है और यहां के सभी सम्मानित सदस्य हैं, पूरे देश की नजर आप पर है। आप इन दिनों जो भी बोलते हैं, जो भी कार्यवाही होती है, वह वेबकास्ट होती है। ऊपर मीडिया के लोग बैठे हैं, यह राज्य आप सबों का है। जो राज्य की समस्या है, उसे सदन में उठाना सबकी जिम्मेदारी है। आप और हम सबके कंधों पर इस राज्य की जिम्मेदारी है, जो कुछ हो रहा है, जो जनहित के मामले हैं, उनको सदन में उठायें और सरकार उसको गंभीरता से लेगी। आपका सवाल, आपकी बात, जो जनता से जुड़ी हुई है, उसे उठाइए। व्यक्तिगत बात नहीं कीजिए। इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यों तथा माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी ने माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा प्रयोग किए गए कतिपय शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की जबकि माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने भी अपने प्रति की गई टिप्पणी पर आपत्ति की। माननीय उप सभापति महोदय ने इस अवसर पर सदन के माननीय सदस्यों से कहा कि अगर किन्हीं माननीय सदस्यों के कहे गये शब्दों से आपको आघात पहुंचा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। परंतु माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से लगातार बोलती रहीं, प्रत्युत्तर में माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव भी बोलते रहे जबकि राजद के शेष माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए तथा पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये। तथा जोर-जोर से पोस्टर दिखाते हुए नारेबाजी करते रहे।

3. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय के रूझान की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 266, 267 एवं 284 में संशोधन से संबंधित बिहार गजट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

(यथावत् नारेबाजी जारी रही। कुछ समय पश्चात् राजद के सभी माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गये।)

4. आसन द्वारा नियमन एवं सूचना दिया जाना

सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने राजद के माननीय सदस्यों के इस आचरण के लिए उन पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आपको मालूम है कि उनपर कार्रवाई चल रही है। पिछले सत्र में जो जो हरकत इन लोगों ने किया था, आपने सर्वसम्मति से उनपर कार्रवाई का निर्णय लिया था, उसके आलोक में कार्रवाई चल रही है। माननीय सदस्य, श्री सूरजनंदन प्रसाद ने आसन से मांग की कि आज की बात को भी उसमें जोड़ दिया जाय, जिसपर आसन से सूचित किया गया कि निर्णय में समय लगता है, आचार समिति इन सारी चीजों पर विचार कर रही है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, आचार समिति अपना फैसला करेगी और आपको मैं बता देता हूं कि जब कोई व्यक्ति सीमा पार करेगा तो हर चीज के लिए आपकी नियमावली में प्रावधान बना हुआ है। मैंने बहुत सहनशीलता का परिचय देते हुए प्रयास किया है कि लोग सुधर जायें और आसन का, सदन का सम्मान करें। जनता का सवाल करने के लिए लोग यहां आये हैं, उन सवालों को रखने दें। मेरी न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से नफरत है, न किसी से दुश्मनी है। लेकिन जब लोग कानून हाथ में लेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। चलिये, धन्यवाद।

(अंतराल)

5. सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान किया –

1. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने टेलीग्राफ अखबार में छपी खबर की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आप अपनी सूचना सदन पटल पर रख दें, जिसपर उन्होंने अपनी सूचना सदन पटल पर रख दी।

2. माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों की हड़ताल तथा उनके हटाये जाने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

3. माननीय सदस्य, प्रो. सजय कुमार सिंह ने पूरे बिहार के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने तथा पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही, माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों के संबंध में उठाई गई मांग का भी समर्थन किया।

4. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबके लिए नीगोसिएशन सबसे बड़ा हथियार है तथा सभी मामलों पर सरकार वार्ता करे। साथ ही, उन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों के संबंध में उठाई गई मांग का समर्थन किया।

5. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया प्रखंड के बुद्ध कॉलोनी एवं आई.टी.आई., धांगड़टोला के उजाड़े गये लोगों को पुनर्बासित करने की मांग की।

6. माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने सूचना के माध्यम से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पेंशनरों एवं शिक्षकों को हो रही कठिनाई की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

6. **ध्यानाकर्षण**

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की भावना को देखते हुए यह नियमन देने की कृपा की कि क्रमांक 7, 9 एवं 12 पर अंकित ध्यानाकर्षण समरूप हैं, इसलिए उनका एक साथ उत्तर दिया जाए।

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री संजीव कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी, प्रो० संजय कुमार सिंह एवं नीरज कुमार द्वारा राज्य के सरकारी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन अथवा अनुदान के संबंध में, एवं

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रो० संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, केदार नाथ पाण्डेय, संजीव श्याम सिंह, दिलीप कुमार चौधरी एवं नीरज कुमार द्वारा वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के बकाया अनुदान का एकमुश्त भुगतान करने के संबंध में, तथा

3. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के संबद्ध डिग्री एवं इंटर महाविद्यालयों को मिलने वाली अनुदान राशि को विमुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

उपर्युक्त तीनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर एक साथ सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री ने आपको खुले दिल से आमंत्रित किया है, आप सभी लोग मिलजुलकर जो कमियां हैं, उसे उजागर करें और सरकार को समाधान हेतु इस दिशा में आपका सहयोग चाहिए। माननीय मंत्री आपकी भावना से अवगत हैं और ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बकाया भुगतान हो जाए।

4. माननीय सदस्य, सर्वश्री दिलीप कुमार चौधरी, संजीव कुमार सिंह, प्रो० संजय कुमार सिंह एवं नीरज कुमार द्वारा शेष बचे शिक्षकों को प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति का लाभ कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. के मापदंडों का अनुपालन नहीं करने और पी-एच.डी. घोटाला के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

6. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा बिहार मदरसा बोर्ड में कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

7. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचना निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप इसको देख लीजिएगा और नियमानुसार कार्रवाई कीजिएगा।

8. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा राज्य में पुआल जलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विनोद नारायण झा ने वक्तव्य दिया।

9. माननीय सदस्य, सर्वश्री दिलीप कुमार चौधरी, तनवीर अख्तर, रामचन्द्र भारती एवं अशोक चौधरी द्वारा राज्य में व्याख्याता नियुक्ति में हुई अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसे सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

साथ ही, इस ध्यानाकर्षण के संबंध में माननीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि माननीय मंत्री से बात हुई है, माननीय सदस्य को उत्तर उपलब्ध करा देंगे।

10. माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार सर्राफ द्वारा पटना के बहादुरपुर स्थित राजेश्वर हॉस्पिटल तथा पालिका विनायक हॉस्पिटल के मध्य गली में सिवरेज पाईप बिछाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय की मांग की गई।

11. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा छपरा स्थित निर्माणाधीन इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

12. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग संचालित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

7. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, श्री सूरज नन्दन प्रसाद द्वारा राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, डा० उपेन्द्र प्रसाद द्वारा विधायक अनुशंसित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसे ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित किया गया।

3. माननीय सदस्य, श्री राधा चरण साह द्वारा पटना जिला में शौचालय निर्माण में बरती गयी अनियमितता से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(अंतराल)

8. **सदन का समय बढ़ाया जाना**

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि आज की कार्यसूची के कई कार्य लंबित हैं, विधेयक लंबित है, इसलिए शेष कार्यों के संपादित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन की सहमति से सदन का समय बढ़ाया गया।

(अंतराल)

9. **औपचारिक कार्य**

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1.12.2017 की बैठक में पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया-

1. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

10. **वित्तीय कार्य**

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

11. **वित्तीय विधेयक**

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 पारित हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

12. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह
2. श्री सतीश कुमार
3. श्री केदार नाथ पाण्डेय
4. श्री सलमान रागिब
5. प्रो. संजय कुमार सिंह
6. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
7. प्रो. नवल किशोर यादव
8. श्री सुबोध कुमार
9. श्री सोने लाल मेहता
10. श्री सी.पी. सिन्हा
11. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
12. श्री राधाचरण साह
13. श्री कृष्ण कुमार सिंह
14. श्री राजेश राम
15. श्री नीरज कुमार
16. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

13. प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षणों के संबंध में सरकार की सूचना

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र के लिए कुल 287 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, उनमें से कुल 278 प्रश्नों को माननीय उप सभापति महोदय ने स्वीकृत किया । कुल 81 प्रश्न उत्तरित हुए । 187वें सत्र के लंबित प्रश्नों के उत्तर आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा ।

माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी सूचित किया कि 187वें सत्र के लिए कुल 43 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई । उनमें से 33 सूचनाओं को स्वीकृत कर सदन के कार्यक्रम पर लाया गया। सभी

सूचनाओं पर सरकार की ओर से वक्तव्य देने का प्रयास किया गया।

14. शून्यकाल एवं निवेदनों के संबंध में आसन की सूचना

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करने की कृपा की कि 187वें सत्र में शून्यकाल की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 5 सूचनाओं को सदन के माध्यम से शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया गया। शेष सूचनाएं व्यपगत हुईं।

साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया कि बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र में कुल 43 निवेदनों की सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुईं। सभी निवेदनों को निवेदन समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया गया।

15. माननीय उप सभापति महोदय का समापन भाषण

उप सभापति : माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल
विभिन्न दलों के नेतागण
मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण
बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण

आज 1 दिसम्बर, 2017 को बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र का समापन हो रहा है। इस शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण, शून्यकाल एवं प्रश्नों के माध्यम से लोकहित के कई महत्वपूर्ण मामले सदन में लाए गए।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने पूरी गंभीरता से अपने संसदीय सरोकारों को दर्शाते हुए जन समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-2018 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी सदन में उपस्थापन के साथ पारित की गई। कई विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के साथ-साथ, निम्न महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए :

(1) बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017
(2) बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017
(3) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 एवं
(4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

सदन के प्रति सरकार के सद्भाव, सक्रियता तथा सम्मान-भाव के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। परिषद् के माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन-संचालन में अपना पूरा सहयोग दिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार प्रतिनिधियों का भी आभार

व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन में उभरे लोकहित के स्वर को प्रकाशित-प्रसारित करने में अपनी तत्परता दिखाई।

मैं बिहार विधान परिषद् के सचिव एवं परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों, कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग एवं सक्रियता से सत्र का संचालन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

तदुपरान्त माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

6/12/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक-2088 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 6.12.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

6/12/17

(अनिल कुमार आनन्द)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।